मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक:एफ 7-11/2019/आ.प्र./एक **भोपाल, दिनांक 29 जून, 2021**

प्रति,

1. समस्त पदाभिहित अधिकारी (तहसीलदार)
2. समस्त प्रथम अपीलीय अधिकारी (कलेक्टर)
3. समस्त द्वितीय अपीलीय अधिकारी (संभागायुक्त)

विषय: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई. डब्ल्यू. एस.) के अभ्यर्थियों को आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने विषयक ।

1. **सेवा का उद्देश्य :-** इस सेवा का उद्देयेश्य मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.), जो संविधान के अनुच्छेद-341 एवं 342 के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-85-25-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर,1984 द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्ग को प्रदत्त आरक्षण की परिधि में नहीं आते हैं, को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं शासकीय नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण हेतु आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना है ।

2. **पदाभिहित अधिकारी का पदनाम एवं समय-सीमा :**

क्र.	सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी	समय-सीमा
6.7	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई. डब्ल्यू. एस.) के अभ्यर्थियों को आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करना	तहसीलदार से अनिम्न श्रेणी का अधिकारी	15 कार्य दिवस

3. **पात्रता की आवश्यक शर्तें :-** आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निम्नानुसार मापदंड निर्धारित किये जाते हैं:-

I. ऐसे परिवार की कुल वार्षिक आय रु. 08.00 (आठ लाख) से अधिक न हो । अय में सभी स्त्रोतों की आय शामिल होगी, जो वेतन, कृषि, व्यवसाय आदि से होवे ।
II. निम्न व्यक्ति उक्त योजना में पात्र नहीं होंगे :- (म. प्र. अंतर्गत ई.डब्ल्यू.एस. के लिए)
   a. जिसके पास 5 एकड़ से अधिक भूमी हो (जिनके खसरे में तीन साल से लगातार उसर, बंजर, पथरीली, बीहड़ भूमी अंकित हो, वह भूमी इसमें शामिल नहीं होगी) ।
   b. जिसके पास 1200 वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान/फ्लैट नगर निगम क्षेत्र में स्थित हो ।
   c. जिसके पास नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान/फ्लैट हो ।
   d. नगर परिषद् क्षेत्र में जिसके पास 1800 वर्गफुट से ज्यादा का आवासीय मकान/फ्लैट हो ।
III. निम्न व्यक्ति उक्त योजना में पात्र नहीं होंगे :- (केंद्र सरकार अंतर्गत ई.डब्ल्यू.एस. के लिए)
   a. 05 एकड़ अथवा इससे अधिक कृषि भूमि;

b. 1000 वर्ग फुट या इससे अधिक के आवासीय फ्लैट;
c. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
d. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;

IV. आवेदक संविधान के अनुच्छेद-341 एवं 342 के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-85-25-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर,1984 द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्ग ।

4. आवश्यक दस्तावेज:-

क्र	आवश्यक दस्तावेज
1.	i. समग्र कार्ड आई डी* (समग्र परिवार आई डी होने की दशा में एप्लीकेशन फॉर्म में भरें) ii. लैंड/प्लाट/फ्लैट/हाउस रजिस्ट्री पेपर/पट्टा नजूल (संपत्ति होने की दशा में) iii. खसरा+बी1 (भूमि स्वामी होने की स्थिति में) iv. फॉर्म 16/ आई टी आर V (पूर्व वित्तीय वर्ष)/पे स्लिप (वेतन भोगी, व्यापारी, प्रोफेशनल आदि होने की स्थिति में) v. स्व-घोषणा पत्र

5. आवेदन करने का स्थान :- पदाभिहित अधिकारी कार्यालय/ लोक सेवा केंद्र/ एमपी लोक सेवा पोर्टल (http://www.mpedistrict.gov.in/MPL/Index.aspx) ।

6. आवेदन का माध्यम :- ऑनलाइन

7. आवेदन करने की प्रक्रिया :-

7.1 पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया –

7.1.1 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अंतर्गत आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र, पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में कंडिका-4 में दर्शाये अनुसार आवश्यक दस्तावेजों सहित निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।

7.1.2 आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने के साथ ही उसे, अभिस्वीकृति लोक सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 5(1) के अंतर्गत प्रदाय की जायेगी।

7.1.3 पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में पावती में निराकरण की समय सीमा का उल्लेख किया जायेगा और यदि आवेदन अपूर्ण है तो समय सीमा का उल्लेख नहीं किया जायेगा परंतु जो आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये है उनका उल्लेख प्रदाय अभिस्वीकृति में किया जायेगा।

7.1.4 आवेदन लेते समय आवेदक के मोबाईल नम्बर का उल्लेख भी कराया जाये ताकि आवश्यकतानुसार SMS अलर्ट किया जा सके।

7.1.5 आवेदन का पंजीयन मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली तथा प्रतिकर का भुगतान) नियम, 2010 के नियम-16 में निर्धारित पंजी में किया जावेगा। एक ही आवेदन को पृथक-पृथक पंजियों में इन्द्राज आवश्यक नहीं होगा।

7.1.6 संबंधित पदाभिहित अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर यथाशीघ्र परंतु निर्धारित समय सीमा में आवेदन का निराकरण कर आवेदक को आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा ।

7.1.7 आवेदन पत्र अस्वीकृत करने की स्थिति में भी सूचना कारण सहित आवेदक को लिखित में दी जावेगी।

7.2 लोक सेवा केन्द्र में आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया –

7.2.1 आवेदन का पंजीयन कंडिका-4 में उल्लेखित दस्तावेज के साथ लोक सेवा केंद्र पर ऑपरेटर द्वारा ऑनलाइन किया जायेगा।

7.2.2 आवेदन प्राप्त करते समय आवेदक का मोबाईल नम्बर, समग्र आई.डी, आधार क्रमांक एवं ई-मेल आईडी आवेदक के पास होने की स्थिति में आवश्यक रूप से लिया जायेगा।

7.2.3 ऑनलाइन आवेदन जमा होने के साथ ही सॉफ्टवेयर से आवेदन की पावती तैयार होगी। पूर्ण आवेदन जमा होने की स्थिति में निराकरण की समय-सीमा सॉफ्टवेयर द्वारा पावती पर अंकित होगी। अपूर्ण आवेदन की स्थिति में छूट गये दस्तावेजों का उल्लेख होगा। आवेदन जमा होने के बाद पावती पर ऑपरेटर द्वारा हस्ताक्षर कर आवेदक को दी जायेगी।

7.2.4 लोक सेवा केन्द्र/कियोस्क पर आवेदन की ऑनलाईन पावती जमा होते ही आवेदन संबंधित पदाभिहित अधिकारी के अकाउन्ट में ऑनलाईन उपलब्ध हो जायेगा।

7.2.5 पदाभिहित अधिकारी ऑनलाईन आवेदन के आधार पर परिपत्र की कंडिका-8 में बताई प्रक्रिया अनुसार उसके निराकरण की कार्यवाही करेगा और यथाशीघ्र परंतु समय-सीमा में आवेदन का निराकरण कर आवेदक को आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

7.3 स्वयं ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया –

7.2.1 आवेदक द्वारा एमपी लोक सेवा पोर्टल (http://www.mpedistrict.gov.in/MPL/Index.aspx) URL पर स्वयं को पंजीकृत किया जायेगा ।

7.2.2 पंजीकृत होने के पश्चात 'सामान्य प्रशासन विभाग' अन्तर्गत सेवा क्रमांक 6.7 हेतु आवेदन के लिए "अप्लाई ऑनलाइन" लिंक पर क्लिक किया जायेगा एवं सेवा सम्बन्धी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में आवश्यक जानकारी स्वयं भरी जाएगी ।

7.2.3 आवेदन फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरे जाने के पश्चात् पंजीयन कंडिका-4 में उल्लेखित दस्तावेज की पीडीएफ अथवा JPG कॉपी ऑनलाइन संलग्न की जाएगी ।

7.2.4 आवेदन भरते समय आवेदक द्वारा सेवा हेतु अनिवार्य जानकारी (* चिन्हित) आवश्यक रूप से भरा जायेगा एवं 'सबमिट' बटन पर क्लिक कर आवेदन दर्ज किया जायेगा ।

7.2.5 ऑनलाइन आवेदन जमा होने के साथ ही सॉफ्टवेयर से आवेदन की पावती तैयार होगी। पूर्ण आवेदन जमा होने की स्थिति में निराकरण की समय-सीमा सॉफ्टवेयर द्वारा पावती पर अंकित होगी। अपूर्ण आवेदन की स्थिति में छूट गये दस्तावेजों का उल्लेख होगा। आवेदन जमा होने के बाद पावती की पीडीएफ कॉपी आवेदक द्वारा डाउनलोड कर स्वयं के पास संधारित किया जायेगा ।

7.2.6 आवेदक द्वारा आवेदन के ऑनलाइन सबमिट किये जाते ही आवेदन संबंधित पदाभिहित अधिकारी के अकाउन्ट में ऑनलाईन उपलब्ध हो जायेगा।

7.2.7 पदाभिहित अधिकारी ऑनलाईन आवेदन के आधार पर परिपत्र की कंडिका-8 में बताई प्रक्रिया अनुसार उसके निराकरण की कार्यवाही करेगा और यथाशीघ्र परंतु निर्धारित समय-सीमा में आवेदन का निराकरण कर आवेदक को आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

8. आवेदन निराकरण करने की प्रक्रिया –

8.1 पदाभिहित अधिकारी द्वारा कंडिका-3 अनुसार पात्रता एवं कंडिका-4 अनुसार दस्तावेज का परीक्षण किया जाएगा ।

8.2 शहरी क्षेत्र से प्राप्त आवेदन की स्थिति में राजस्व निरीक्षक द्वारा एवं ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त आवेदन की स्थिति में पटवारी द्वारा फील्ड वेरिफिकेशन कर फील्ड वेरिफिकेशन रिपोर्ट पदाभिहित अधिकारी को प्रस्तुत की जावेगी |

8.3 प्रस्तुत फील्ड वेरिफिकेशन रिपोर्ट एवं पात्रता के आधार पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का निर्धारित समय सीमा अनुसार निराकरण कर आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु स्वीकृति प्रदाय किया जाएगा।

8.4 यदि आवेदक अपात्र है तो अपात्रता का स्पष्ट युक्तियुक्त कारण का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा ।

8.5 पात्र आवेदक को 15 कार्य दिवस में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के आवेदक को आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा ।

8.6 आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से उस वित्तीय वर्ष के अंत तक (31 मार्च) वैध रहेगा | आवेदक के पक्ष में जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र में वर्णित आय, संपत्ति के कमी/बढ़ोत्तरी होने की स्थिति में इस आशय का आवेदन पूर्व में जारी प्रमाण पत्र की प्रति एवं आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर प्रस्तुत किये जाने पर पदाभिहित अधिकारी, आवेदक के पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को निरस्त करते हुए नवीन आय प्रमाण पत्र जारी कर सकेगा ।

8.7 गलत स्वप्रमाणिकरण अथवा गलत घोसणा पत्र देने पर आवेदक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता एवं अन्य विद्यमान प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी ।

8.8 पदाभिहित अधिकारी अथवा उसके निर्देशानुसार अन्य सम्बंधित अधिकारी द्वारा स्व घोषणा पत्र अथवा आवेदक द्वारा दिए गए आय एवं संपत्ति के तथ्यों की सत्यता की जाँच रेंडम आधार पर नियमित रूप से करायी जाएगी | जाँच के पश्चात् यदि यह सिद्ध होता है की किसी आवेदक द्वारा त्रुटिपूर्ण जानकारी के आधार पर सेवा प्राप्त की गयी है तो ऐसे प्रमाण पत्रों को निरस्त करने की कार्यवाही के साथ-साथ सम्बंधित आवेदक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता एवं अन्य विद्यमान प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी ।

9. शुल्क -

विवरण	निर्धारित शुल्क
विभागीय सेवा शुल्क	निःशुल्क
लोक सेवा केंद्र से आवेदन करने पर	लोक सेवा केंद्र का निर्धारित सेवा शुल्क केंद्र संचालक को अलग से देय होगा

10. अपील- आवेदक निम्नांकित स्थितियों में अपील कर सकेगा :-

i. आवेदन पत्र अमान्य किए जाने पर

अथवा

आवेदन का निराकरण समय-सीमा में न होने पर ।

ii. प्रथम अपील प्रस्तुत करने की समय-सीमा 30 दिवस तथा द्वितीय अपील प्रस्तुत करने की समय-सीमा 60 दिवस होगी ।

सेवा क्र.	सेवा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
6.7	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई. डब्ल्यू. एस.) के अभ्यर्थियों को आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करना	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त

(डॉ0 श्रीनिवास शर्मा)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक:एफ 7-11/2019/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 29 जून, 2021

प्रतिलिपिः-

1. प्रमख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, भोपाल।
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, म.प्र. शासन, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
6. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर।
7. अध्यक्ष, म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
8. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल।
9. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
10. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर।
11. सचिव, लोकायुक्त मध्यप्रदेश भोपाल।
12. सचिव, लोक सेवा आयोग मध्यप्रदेश, इंदौर।
13. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश।
14. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता,मध्यप्रदेश जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर।
15. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
16. निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, कमरा नं0 309, निर्माण सदन, सीजीओ बिल्डिंग, 52-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल।
17. निदेशक, अनुसूचित जाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, फ्लेट नं0-103, तेजस्वी अपार्टमेंट, द्वितीय तल, द्वारकापुरी, पंजागुट्टा, हैदराबाद-500082।
18. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग/अनुसूचित जनजाति आयोग/ पिछडा वर्ग आयोग, भोपाल।
19. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,
20. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश भोपाल।
21. कार्यपालक संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण मध्यप्रदेश भोपाल।
22. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सा.प्र.वि. अधीक्षण/अभिलेख शाखा, मंत्रालय।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रमाण पत्र प्रारूप -

Government of Madhya Pradesh

OFFICE OF THE TEHSILDAR TEHSIL ____ DISTRICT _____ (M.P.)
INCOME & ASSET CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY
ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No: _____ Date: _____

VALID FOR THE YEAR_____

This is to certify that Shri/Smt./Kumari _____ son/daughter/wife of _____ permanent resident of _____ Village/Street _____ Post Office _____ District _____ in the State _____ Pin Code _____ whose photograph is attested below belongs to Economic Weaker Sections, since the grass annual income* of his/her "family" ** is below Rs. 8.00 lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year _____. His/her family does not own or possess any of the following assets***:

I. 05 acres of agricultural land and above;
II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities;

2. Shri/Smt./Kumari _____ belongs to the _____ caste which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes.

Signature and seal of Office_____
Name_____
Designation _____

Recent Passport size attested photograph of the applicant

---

*Note1: Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc.
**Note 2: The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefits of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years
***Note 3: The property held by a "Family" in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

मध्य प्रदेश शासन

कार्यालय तहसीलदार तहसील _____ जिला _____ (म. प्र.)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति

प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र संख्या: _____ **दिनांक: _____**

वित्तीय वर्ष _____ के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी _____ पुत्र /पत्नी/पुत्री / _____ ग्राम/क़स्बा _____पोस्ट ऑफिस _____ थाना _____ तहसील_____ जिला _____ राज्य_____ पिन कोड _____ के स्थायी निवासी हैं, जिनकी फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं , क्यों की वित्तीय वर्ष ..... में इनके परिवार** की कुल वार्षिक आय* रु. 08.00 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है । इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसंपत्ति*** नहीं है:-

I. जिसके पास 05 एकड़ से अधिक भूमी हो (जिसके खसरे में तीन साल से लगातार उसर, बंजर, पथरीली, बीहड़ भूमी अंकित हो, वह भूमी इस भूमी में शामिल नहीं होगी) |
II. जिसके पास 1200 वर्गफूट से अधिक का आवासीय मकान/फ्लैट नगर निगम क्षेत्र में स्थित हो|
III. जिसके पास नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफूट से अधिक का आवासीय मकान/फ्लैट हो|
IV. नगर परिषद् क्षेत्र में जिसके पास 1800 वर्गफूट से ज्यादा का आवासीय मकान/फ्लैट हो|

2. श्री / श्रीमती / कुमारी _____ जाति _____ के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं है।

हस्ताक्षर .....(कार्यालय के मुहर सहित)

पूरा नाम .....

पदनाम .....

अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार

आवेदक का पासपोर्ट आकार का अभिप्रमाणित फोटो

---

* नोट :: सभी स्त्रोतों से अर्जित आय जैसे वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि ।

** नोट 2: इस उद्देश्य के लिए "परिवार" शब्द का अर्थ वह व्यक्ति जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और भाई-बहन (18 साल से कम उम्र के) के साथ-साथ उसके पति अथवा पत्नी और 18 वर्ष से कम उम्र पुत्र/पुत्री।

*** नोट 3: ई.डब्ल्यू.एस. के अंतर्गत घोसणा मे विभिन्न स्थानों / शहरों / जगहों में "परिवार" द्वारा अर्जित संपत्ति को संयोजित किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

कमांक एफ–07–11/2019/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 18 जुलाई, 2019

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः– आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) को 10 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा बाबत।

संदर्भः– समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 02 जुलाई, 2019

:::::

विषयांतर्गत संदर्भित ज्ञापन की कण्डिका–4(2)(1) निम्नानुसार है :–

"जिसके पास 5 एकड़ या उससे अधिक भूमि हो।

(जिनके खसरे में तीन साल से लगातार उसर, बंजर, पथरीली, बीहड़ भूमि अंकित हो, वह भूमि इसमें शामिल नहीं होगी)"

2. उक्त कण्डिका के स्थान पर निम्न कण्डिका प्रतिस्थापित की जाती हैः–

"जिनके पास 5 एकड़ से अधिक भूमि हो।

(जिनके खसरे में तीन साल से लगातार उसर, बंजर, पथरीली, बीहड़ भूमि अंकित हो, वह भूमि इसमें शामिल नहीं होगी)"

3. आय एवं सम्पत्ति के प्रमाण–पत्र का संशोधित "प्ररूप" भी संलग्न है।

संलग्नः– यथोपरि।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
18.7.19.
(प्रेमचन्द मीना)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

.....2

पृ0 कमांक एफ 7–11/2019/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 18 जुलाई, 2019

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मंत्रालय, भोपाल।
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, म.प्र.शासन, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
5. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर।
6. अध्यक्ष, म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
7. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल।
8. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
9. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर।
10. सचिव, लोकायुक्त मध्यप्रदेश भोपाल।
11. सचिव, लोक सेवा आयोग मध्यप्रदेश, इंदौर।
12. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश।
13. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता,मध्यप्रदेश जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर।
14. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
15. निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, कमरा नं0 309, निर्माण सदन, सीजीओ बिल्डिंग, 52–ए, अरेरा हिल्स, भोपाल।
16. निदेशक, अनुसूचित जाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, फ्लेट नं0–103, तेजस्वी अपार्टमेंट, द्वितीय तल, द्वारकापुरी पूजा गुप्ता, हैदराबाद–500082।
17. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग/अनुसूचित जनजाति आयोग/अन्य पिछडा वर्ग आयोग, भोपाल।
18. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,
19. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश भोपाल।
20. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सा.प्र.वि. अधीक्षण/अभिलेख शाखा, मंत्रालय।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

18/7/19

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

प्ररूप

(सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ 07-11/2019/आ.प्र./एक, दिनांक 18 जुलाई 2019 का संलग्नक)

मध्य प्रदेश शासन

कार्यालय का नाम.....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाल आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या-..... दिनांक-.....

वित्तीय वर्ष ..... के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....
पुत्र/पति/पुत्री..... ग्राम/कस्बा.....

पोस्ट ऑफिस.....थाना.....
तहसील..... जिला..... राज्य.....
पिन कोड..... के स्थायी निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष ..... में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 08 लाख (आठ लाख रूपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-

I. जिनके पास 5 एकड़ से अधिक भूमि हो (जिनके खसरे में तीन साल से लगातार उसर, बंजर पथरीली, बीहड़ भूमि अंकित हो, वह भूमि इस भूमि में शामिल नहीं होगी) ।
II. जिसके पास 1200 वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान/फ्लैट नगर निगम क्षेत्र में स्थित हो।
III. जिसके पास नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान/फ्लैट हो।
IV. नगर परिषद् क्षेत्र में जिसके पास 1800 वर्गफुट से ज्यादा का आवासीय मकान/फ्लैट हो।

2. श्री/ श्रीमती/कुमारी.....जाति..... के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं है।

आवेदक का पासपोर्ट साईज का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

हस्ताक्षर.....(कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम .....

पदनाम .....

अनुविभागीय अधिकारी / तहसीलदार

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, भोपाल–462004

क्रमांक एफ सी–3–8/2019/1/3 भोपाल,दिनांक 06/05/2019

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषयः– आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आय एवं संपत्ति का प्रमाण पत्र का प्रदाय करने बाबत्।

भारत सरकार द्वारा 103 वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत सरकार की सेवाओं एवं शिक्षण संस्थाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जो वर्तमान आरक्षण की योजनाओं में नहीं आते हैं, को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। इसका लाभ प्राप्त करने हेतु "आय एवं संपत्ति" का प्रमाण पत्र जारी हेतु कलेक्टर द्वारा पदाभिहित निम्नानुसार अधिकारियों को प्राधिकृत किया जाता है:–

1. अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व)
2. तहसीलदार

2/ अतः केन्द्रीय सेवाओं/शिक्षण संस्थानों में प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी इसका लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में आय एवं संपत्ति का प्रमाण पत्र समुचित जॉच एवं संतुष्टि के पश्चात् जारी किया जाए। इस संबंध में भारत सरकार से प्राप्त गाईड लाईन परिशिष्ट "अ" पर एवं निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

(सी.बी.पड़वार)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

निरंतर....2

पृष्ठांकन क0 एफ सी–3–8/2019/1/3 भोपाल दिनांक 06/05/2019

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, म.प. राजभवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव/सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय, म.प्र.।
3. शासन के समस्त विभाग मध्यय, प्रदेश शासन,मंत्राल भोपाल।
4. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
7. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर/भोपाल।
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।
9. माननीय मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म.प्र.।
10. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी म.प्र. भोपाल।
11. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
12. अध्यक्ष, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल।
13. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव/अवर सचिव (स्थापना/अधीक्षण), मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
14. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
15. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र. भोपाल।
16. सचिव, म.प्र. राज्य निर्वाचन, भोपाल।
17. सचिव, लोकायुक्त, म.प्र.भोपाल।
18. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश इन्दौर।
19. सचिव, म.प्र. राज्य सूचना आयोग, भोपाल।
20. सचिव, म.प्र. मानव अधिकार आयोग, भोपाल।
21. मुख्य सचिव के उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. शासन, भोपाल।
22. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर।
23. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
24. मुख्य लेखाधिकारी,मंत्रालय भोपाल।
25. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
26. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

(iii) The posts should be 'for conducting research' or 'for organizing, guiding and dire :ting research'.

3. Orders c f the Minister concerned should be obtained before exempting any pc ts satisfyin ; the above condition from the purview of the scheme of reservation.

4. **CRITER A OF INCOME & ASSETS:**

4. Persons who are not covered under the scheme of reservation for SCs, STs ar C BCs and whose family has gross annual income below **Rs. 8.00 lakh (Rupees ei ıt lakh only)** are to be identified as EWSs for benefit of reservation. Income sh ll also in lude income from all sources i.e. salary, agriculture, business, pr fe sion, et for the financial year prior to the year of application.

Also pe sons whose family owns or possesses any of the following assets sh ll be exclu ed from being identified as EWS, irrespective of the family income:-

i. 5 acres of agricultural land and above;
ii. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
iii. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
iv. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

4. The pro erty held by a "Family" in different locations or different places/cities w ıld be clul bed while applying the land or property holding test to determine E\ S status.

4. The ter **"Family"** for this purpose will include the person who seeks benefit of eservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also hi /h r spouse and children below the age of 18 years.

5. **INCOME AND ASSET CERTIFICATE ISSUING AUTHORITY AND VERIFICATION OF CERTIFICATE:**

5. The ber efit of reservation under EWS can be availed upon production of an In ome and Asset Certificate issued by a Competent Authority. The Income and As et Certific te issued by any one of the following authorities in the prescribed fo m t as give n in **Annexure-I** shall only be accepted as proof of candidate's claim as be onging to EWS: -

(i) District Magistrate/Additional District Magistrate/ Collector/ Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/1st Class Stipendary

G. Srinivasan

(श्री.बी. पहवार)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

Magistrate/ Sub-Divisional Magistrate/ Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/ Extra Assistant Commissioner

ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/ Presidency Magistrate

iii) Revenue Officer not below the rank of Tehsildar and

iv) Sub-Divisional Officer or the area where the candidate and/or his family normally resides.

5.: The Officer who issues the certificate would do the same after carefully verifying all relevant documents following due process as prescribed by the respective State/UT.

5.: The crucial date for submitting income and asset certificate by the candidate may be treated as the closing date for receipt of application for the post, except in cases where crucial date is fixed otherwise.

5.· The appointing authorities should, in the offer of appointment to the candidates claiming to be belonging to EWS, include the following clause :-

"The appointment is provisional and is subject to the Income and asset certificate being verified through the proper channels and if the verification reveals that the claim to belong to EWS is fake/false the services will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code for production of fake/false certificate."

The appointing authority should verify the veracity of the Income and asset certificate submitted by the candidate through the certificate issuing authority.

5. Instructions referred to above should be strictly followed so that it may not be possible for an unscrupulous person to secure employment on the basis of a false claim and if any person gets an appointment on the basis of such false claim, her/his services shall be terminated invoking the conditions contained in the offer of appointment.

6. EFFECTING RESERVATION - MAINTENANCE OF ROSTERS:

6. Department of Personnel and Training had circulated Office Memorandum No. 36012/2/96-Estt(Res) dated July 2, 1997 regarding implementation of post based reservation roster. The general principles for making and operating post

G. Srinivasan

(डी.वी. पड़वार)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

Annexure-I

Government of ....
(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSEST CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No. ____________ Date: ____________________

VALID FOR THE YEAR__________

This is to certify that Shri/Smt./Kumari ____________________ son/daughter/wife of ____________________ permanent resident of ____________________, Village/Street ____________ Post Office ____________ District________ in the State/Union Territory ____________ Pin Code_________ whose photograph is attested below belongs to Economically Weaker Sections, since the gross annual income* of his/her "family"** is below Rs. 8 lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year _______. His/her family does not own or possess any of the following assets*** :

I. 5 acres of agricultural land and above;
II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumari ____________________ belongs to the ______ caste which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (Central List)

Signature with seal of Office____________
Name ____________________
Designation ________________

Recent Passport size attested photograph of the applicant

*Note 1: Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc.

**Note 2: The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years

***Note 3: The property held by a "Family" in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

(डी.बी. पड़वार)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग